

12/2/12

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

28/9/22

दोनों पक्षों के अधिवक्ता उप/जूस हेतु अपसर
चाह रहे हैं जो एक अपसर दिया जाकर
पत्रावली वाले जूस हेतु दि. 10/10/22 को
पेश हो।
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

04.10.12

दोनों पक्षों के अधिवक्ता उप/जूस
वक्ता कृती गई और वक्ता पर
पत्रावली का गारंटी देना
पूर्वक अवलोकन किया। जिले में प्राप्ता
के बावजूद प्राप्ति का मूल्यांकन किया।
जिस में स्वतंत्रता को रोकना न लम्बाई
निर्धारण जारी कलमें का है। जो
मूल्यांकन में काफ़ी लम्बे के आधार पर
तय होगा, कि प्राप्ति। वादीगण रहते
प्राप्त करने के हेतु है अथवा नहीं
लेकिन हल्का प्रमाण में जारी लम्बाई
आदेश को कम्प्ली किया जाया उपर
आदेश है, तभी प्रमाण के प्रमाण
प्राप्त ही नहीं को प्रमाण किताद नहीं
होते। कितादा प्राप्ति का आदेश
पत्र हतीगत किया व्यापक न्यायिक
द्वारा जारी लम्बाई आदेश किताद
04.10.2012 को मूल्यांकन के निर्णय
तक कम्प्ली किया जाता है।

पत्रावली प्रमाण 23/10/22
वाकिल वक्ता हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा